रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062021-227344
CG-DL-E-02062021-227344

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1983] नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 2021/ज्येष्ठ 12, 1943
No. 1983] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 2021/JYAISHTHA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2021

का.आ. 2137(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ियाबाद जिले में NH9 (पुराना NH – 24) (के कि.मी. 8.36 से कि.मी. 27.74 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर ज़िलाधकारी (भु. अ.) गाज़ियाबाद को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात्त तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) केअधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ियाबाद जिले में NH9 (पुराना NH – 24) के कि.मी. 8.36 से कि.मी. 27.74 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		**जिले का नाम: गाज़ियाबाद**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
तालुक का नाम: गाज़ियाबाद					
गांव का नाम: मेहरौली					
1	1008	निजी	कृषि	236.0000000(वर्ग मीटर)	0.0236000
2	1063	निजी	कृषि	368.0000000(वर्ग मीटर)	0.0368000
3	1064	निजी	कृषि	1,010.0000000(वर्ग मीटर)	0.1010000
			कुल	**1,614.0000**	**0.1614**

[फा. सं. NHAI/PIU-GZB/DME-PKG - 2 / 12011/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2021

S.O. 2137(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, NH - 9 (Old NH -24) 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH - 9 (Old NH -24) in the stretch of land from Km. 8.36 to Km. 27.74 in the district of GHAZIABAD in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, ADM (LA) Ghaziabad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH - 9 (Old NH - 24) in the stretch of land from Km. 8.36 to Km. 27.74 in the district of GHAZIABAD in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH	**District: GHAZIABAD**				
Sl.No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectare)**
Taluk: Ghaziabad					
Village: Mehrauli					
1	1008	Private	Agriculture	236.0000000(Square Meter)	0.0236000
2	1063	Private	Agriculture	368.0000000(Square Meter)	0.0368000
3	1064	Private	Agriculture	1,010.0000000(Square Meter)	0.1010000
			Total	**1,614.0000**	**0.1614**

[F. No. NHAI/PIU-GZB/DME-PKG - 2 / 12011/3A]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.02 21:27:12 +05'30'